

प्रक्रम,

एच०पी० रिंग

निशेष समिति

उत्तराखण्ड राज्य

संवाद में,

१. निदेशक,

राज्य लगरीय विकास अभियान,

उत्तराखण्ड।

लगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक वाहन्य वसितयों तथा लगरीय मणिन वरितयों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पव संख्या-1488/76/एक/2013-14 दिनांक 13 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक वाहन्य वसितयों तथा लगरीय मणिन वरितयों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-बुलन्दशहर की निकाय-छत्तारी वी 123 आवासों वी 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1971/69-1-13-36(आसरा-37)/2013 दिनांक 19 जनवरी, 2014 द्वारा रु0 364.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 182.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्रविधिवित बजट से गिम्बलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 182.04 लाख (सूपरे एक करोड़ बयासी लाख चार हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्बलिखित शर्तों/प्रतिवर्जनों के अधीन सहृदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख सूपरे में)


क्र०	जनपद/ स० का नाम	निकाय	कुल आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के आवासीयों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थीयों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त
1	2	3	4	5	6	
1	बुलन्दशहर/छत्तारी योजना	156	123	364.08	182.04	
			123	364.08	182.04	

(सूपरे एक करोड़ बयासी लाख चार हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/द्व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका छण्ड 6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित द्व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य पारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविकों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपतियां एवं पर्यावरणीय फिल्योवर्स प्राप्त करने के प्रपरान्त से लिमांग कार्य पारम्भ किया जायेगा।

- उक्त पारांशु शासन/प्रायोजन द्वारा एवं अनुसार सम्बन्धित उत्तरांशों में इन शब्दों/प्राचीन शब्दों के अर्थों उपर्युक्तानुसार लिखित मद में लाय की जाएगी। याहूआवाहन परियोजना में मन्त्रिकृत क्षेत्रफल, भालपिंड एवं ज्ञान एवं किसी एक्टर का परिचयीन अनुभवय लहीं दिया।
- उक्त धनराशि जिस कार्य/मद ने रवीकृत की जा रही है उसका यथ धन्यवाक दर्शा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री, उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। पारियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार या काहट ऐक्टेशन अनुभवय नहीं होंगा।
- सूड़ा/दूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त रवीकृत धनराशि आवृत्ति परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिग्विजय/पुनरायुति न हो इसे सूड़ा/दूड़ा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- सूड़ा/दूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथ वित्त समिति द्वारा अनुमतिदित आसास योजनाएँ अवासों के निर्माण से सम्बन्धित मालकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व यथ वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित दूड़ा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियादों का सज्ज स्तरीय विस्तारण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना विदेशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित दूड़ा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०३०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नयन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरालत किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (सेषा), ३०३०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाकुचर शंखा, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक दर्थ के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पीएलएल०० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा विधीरित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा विधीरित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्णी के अनुपालन का द्याव रखा जायेगा।
- इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में यथा कलेन्डर अवश्य करा दिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। विधीरित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
- निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०३०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेंगे।
- परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवहारी धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ००४०) विष्यादित किये जाने हेतु सूड़ा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को विर्द्धांशित किया जायेगा।


2. उपरोक्त घनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आदव्यक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत वित्तीय आयोजनागत 02-शहरी आवास-800 अव्य व्यय 03-आसरा योजना (आवासीय भवन) 24 सूहद लिमाण कार्य" के तामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यीव्य जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस 2015 231/2015, दिनांक 30.03.2015 व सभग-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

अवधीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-703 /2015/1759(1)/69-1-15. तदिकांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०.२० सरोजनी नाथदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठपां तल, संगम प्लेस, सिहिल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुक्तन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अधिकरण, चुम्बदशहर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-५, ३०प्र० शासन।
7. मुद्र्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेद मास्टर, सूडा को विभागीय वेदसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।